



पश्चिम मध्य रेल

WCR's NPS No. 33/2016

सं. पमरे/का.मुख्या./रूलिंग/0/821/वाहन/सवारी प्रभार

समस्त विभागाध्यक्ष - पमरे/जबलपुर
मंडल रेल प्रबंधक (का.) - जबलपुर, भोपाल, कोटा
मुख्य कारखाना प्रबंधक - भोपाल व कोटा

महाप्रबंधक कार्यालय,
कार्मिक विभाग, जबलपुर
दिनांक: 11/05/2016

विषय:- वाहन प्रभारो (Mileage Charges) की अनुमेयता।

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.02.2012 (WCR NPS No. 05/2012)

वाहन प्रभारो (Mileage Charges) की अनुमेयता के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये संदर्भित पत्र के पैरा 5 के क्रमांक 'स' में संशोधन किया जाता है, जो निम्नानुसार है :-
वर्तमान 'स' आटो रिक्शा वाहनों के लिये

क. स्कूटर रिक्शा (पेट्रोल चलित) प्रथम किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु.9.00 तत्पश्चात् प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु.6.00

ख. स्कूटर रिक्शा (डीजल चलित) प्रथम किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु.7.00 तत्पश्चात् प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु.6.00

संशोधित 'स' आटो रिक्शा पेट्रोल, एल.पी.जी एवं डीजल प्रथम किलोमीटर रु.13.00 एवं उसके आगे के भाग के लिये रु.10.00 प्रति किलो मीटर

उपरोक्त संशोधन के अलावा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रं. पमरे/का.मुख्या./रूलिंग/0/821/वाहन/सवारी प्रभार दिनांक : 23/02/2012 WCR NPS No. 05/2012 (प्रति संलग्न) की समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

नोट:- उपरोक्त अधिसूचित किराये की दरें इस पत्र के जारी होने की तिथि से लागू होंगी।

इसे मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्न : यथोक्त।

(अरुण श्रीवास्तव)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/औ. सं.
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
पमरे/जबलपुर

Eg
1

पश्चिम मध्य रेल

NPS No. -33/2016

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
कार्मिक शाखा, जबलपुर
दिनांक 13.05.2016

पत्र क्र. पमरे/का.-जबल/ईजी/332-349/सभी भत्ते

सर्व संबंधित, जबलपुर मंडल को उक्त विषयांतर्गत मुख्यालय के पत्र क्रं. पमरे/का.मुख्या./रूलिंग/0/821/वाहन/सवारी प्रभार दिनांक 11.05.16 के पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

11.5.16